

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 16.10.2026

ऑपरेशन कन्विकशन: गैर इरादतन हत्या के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹05 हजार अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 11 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एसजे/एफटीसी-1, शाहजहाँपुर द्वारा वादी के भाई मनबहादुर को अवैध रूप से अपनी हिरासत में रखकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार गम्भीर चोट पहुंचाने जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो जाने पर अभियुक्त गोलू पुत्र मुन्नालाल, नि0 गायत्रीनगर, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली को दोषसिद्ध होने पर 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मारपीट करने व गैर इरादतन हत्या के आरोपी को दिलाई कठोर सजा

दिनांक 01.01.2013 को वादी द्वारा थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया गया कि उसका भाई मनबहादुर पास के ही रहने वाले गोलू के साथ सहगल कोठी, आवास विकास कॉलोनी थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर में काम करने के लिये गया था, उसके बाद से उसका भाई न तो घर आया तथा न ही फोन पर बात हो सकी। दिनांक 31.12.2012 को गोलू अपने एक साथी के साथ वादी के भाई को बेहोशी की हालत में घर के पास सड़क पर छोड़ गये। उसके शरीर पर गम्भीर चोटों के निशान थे। वादी की तहरीर पर तत्काल थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत के पश्चात पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात अभियुक्त गोलू पुत्र मुन्नालाल, नि0 गायत्रीनगर, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली के विरुद्ध दोषसिद्ध होने के उपरान्त, पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

गोलू पुत्र मुन्नालाल, नि0 गायत्रीनगर, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 122/2013, धारा 344/504/506/304/34 भादवि थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर। प्रकरण में अभियुक्त गोलू उपरोक्त द्वारा वादी के भाई को अवैध रूप से हिरासत में रखकर गम्भीर रूप से चोट पहुंचाने, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने के आरोप में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में थाना सदर बाजार पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय** द्वारा अभियुक्त गोलू पुत्र मुन्नालाल, नि0 गायत्रीनगर, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली को **07 वर्ष के कठोर कारावास** एवं **₹05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।